

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/गूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल खण्ड की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 74 दिनांक 10/05/2019

प्रार्थी सत्य खण्ड 5/0 सी बी.डी. खण्ड

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 42,291/-

जरिये रसीद संख्या 1085/19954/1955

दिनांक 10/05/19 को जमा करा दी है।

P.No :- 2 भाग फ

2 सी 11/11/11 क्षेत्र

1955 सी की एनींग से

[Signature]

प्रासूपकार
नगर निगम, जोधपुर

[Signature]

S. K. Khambhadi

29284/5307

सी + 1
 सीय